रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248568 SG-DL-E-05092023-248568

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 213 No. 274] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945 [N. C. T. D. No. 213

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवार कल्याण निदेशालय अधिसूचना

दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

सं. फा. 6/01/एमटीपी/डीएफडब्ल्यू/2017—18/000689256/7368—88.—वर्ष 2021 में संशोधित गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2सी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित चिकित्सा बोर्ड का गठन करते हैं, अर्थात :

क	ख	ग
सरकारी अस्पतालों की सूची	प्राइवेट अस्पतालों की सूची	
1. लोक नायक अस्पताल	1. सेंट स्टीफन अस्पताल	1. विभागाध्यक्ष, प्रासविक एवं स्त्री रोग या अन्य वरिष्ठ
2. गुरू तेग बहादुर अस्पताल	2. सर गंगाराम अस्पताल	चिकित्सक — अध्यक्ष
3. दीन दयाल उपाध्याय	3. अपोलो अस्पताल, सरिता	
अस्पताल	विहार	3. विकिरण चिकित्सक / अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट / भ्रूण चिकित्सा
4. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर		विशेषज्ञ / आनुवांशिकी — सदस्य
अस्पताल	 मैक्स सुपर स्पैश्यालिटी 	4. मामले की आवश्यकतानुसार कोई अन्य विशेषज्ञ
5. हिन्दु राव अस्पताल	अस्पताल, पटपड़गंज	– सदस्य
6. लेडीँ हार्डिंग मेडिकल कॉलेज		5. चिकित्सा अधीक्षक / द्वारा मनोनीत चिकित्सा
एवम् श्रीमती सुचेता कृपलानी		अधीक्षक / प्रशासनिक अधिकारी — संयोजक
अस्पताल		6. प्राइवेट अस्पताल चिकित्सा बोर्ड के लिए सरकारी
7. सफदरजंग अस्पताल		अस्पताल से एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा ।

5676 DG/2023 (1)

8. अखिल भारतीय आर्युविज्ञान	• मेडिकल बोर्ड में एक महिला सदस्य अवश्य होनी
संस्थान	चाहिए ।
	• यदि किसी मामले में विमर्श के समय बोर्ड का कोई
	सदस्य उपलब्ध नहीं होता है तो उसे अध्यक्ष द्वारा
	उपयुक्त रूप से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित
	किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष / सदस्य (सरकारी नामांकित व्यक्ति के अलावा) केवल संबंधित अस्पताल से होना चाहिए । किसी श्रेणी में रिक्ति के मामले में नजदीकी सरकारी अस्पताल से सदस्य को सहयोजित किया जा सकता है ।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मुकेश कुमार शर्मा, उप सचिव

DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 4th September, 2023

No. F. 6/01/MTP/DFW/2017-18/000689256/7368-88.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2C) of Section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 as amended in the year 2021, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the following Medical Boards in the National Capital Territory of Delhi, namely:

A	В	C
List of Government Hospitals	List of Private	Composition/Structure of the Medical Board
	Hospitals	
 LokNayak Hospital Guru TegBahadur Hospital DeenDayalUpadhyay Hospital Dr. Baba SahebAmbedkar Hospital Hindu Rao Hospital LHMC & SSK Hospital Safdarjung Hospital AIIMS, Delhi 	Hospitals 1. St. Stephen Hospital 2. Sir Ganga Ram Hospital 3. Apollo Hospital, SaritaVihar 4. Dr. B.L. Kapur Hospital 5. Max Super Speciality Hospital, Patparganj	 HoD Obstetrics & Gynae or any Sr. doctor-Chairperson Paediatrician/Neonatologist-Member Radiologist/ Ultrasonologist/ Fetal Medicine specialist/ Genetics - Member Any Other specialist as per requirement of the case- Member Medical Superintendent/ an administrative\officer nominated by MS - Convener For Private Hospital Medical Board a member from Govt. hospital shall be nominated -Member Medical Board should have at least one-woman member.
		If any Board member is not available at the time of discussion on a case, he/she should be suitably substituted by another member by the chairperson.

The Chairman/Members (except in case of Government nominee) should be from the concerned hospital only. In case of vacancy in a category, member from the nearby Government hospital may be co-opted.

This notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, MUKESH KUMAR SHARMA, Dy. Secy.